सामान्य नियम और शर्तें

डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ऋण के लिए ऋण की सामान्य शर्तें और नियम (" **जीसी** ") जिसका पंजीकृत कार्यालय एक्सप्रेस बिल्डिंग, तृतीय तल, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002 में है (' **डीएमआई** ' जिसका अर्थ है और इसमें उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल हैं)

1. **परिभाषाएं**

1.1 इन जी.सी. और ऋण आवेदन प्रपत्र में निहित शर्तों और अभिव्यक्तियों को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

" **उपलब्धता अवधि** " का अर्थ वह अवधि होगी जिसके भीतर उधारकर्ता को स्वीकृत सुविधा से स्वचालित रूप से निकासी प्राप्त होगी और इसका विवरण मुख्य तथ्य पत्रक में दिया गया है;

" **उपलब्ध सुविधा राशि** " का अर्थ किसी भी समय सुविधा की अप्रयुक्त राशि है, जिसमें सुविधा की कोई भी राशि शामिल है जो किसी भी पिछले ड्रॉडाउन के सभी या हिस्से के पुनर्भुगतान या पूर्व भुगतान के बाद उपलब्ध हो जाती है।

" **उधारकर्ता** " से तात्पर्य मुख्य तथ्य पत्रक में वर्णित उधारकर्ता से है;

" **उधारकर्ता का बकाया**" का अर्थ है उधारकर्ता द्वारा डीएमआई को देय सभी राशियाँ, जिसमें बकाया सुविधा, ब्याज, अन्य सभी शुल्क, लागत और व्यय शामिल हैं;

"ड्रॉडाउन" का अर्थ उपलब्धता अवधि के भीतर और वित्तपोषण दस्तावेजों की शर्तों के अनुसार सुविधा के प्रत्येक ड्रॉडाउन से होगा, जिसमें किसी भी पूर्व ड्रॉडाउन के पूर्व भुगतान/पुनर्भुगतान के अनुसरण में सुविधा के विरुद्ध उपलब्ध होने वाली किसी भी राशि का ड्रॉडाउन शामिल है;

"देय तिथि" का तात्पर्य उस तिथि से है जिस दिन उधारकर्ता से डीएमआई को कोई राशि देय होती है, जैसा कि मुख्य तथ्य पत्रक में प्रदान किया गया है;

"ईएमआई" का अर्थ है वित्तपोषण दस्तावेजों के अनुसार सभी बकाया ड्रॉडाउन की चुकौती और ब्याज (यदि लागू हो) के भुगतान के लिए उधारकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली समान मासिक राशि;

" **सुविधा** " का अर्थ मुख्य तथ्य पत्रक के अनुसार डीएमआई द्वारा उधारकर्ता को दी गई अधिकतम निकासी सीमा है, जो उधारकर्ता को परिक्रामी ऋण के रूप में उपलब्ध हो सकती है;

" **वित्तपोषण दस्तावेज़** " का अर्थ है ये जी.सी., ऋण आवेदन, मुख्य तथ्य पत्रक, इसके अनुलग्नकों सहित और उधारकर्ता द्वारा निष्पादित या डी.एम.आई. द्वारा अपेक्षित, समय-समय पर संशोधित किए गए कोई भी दस्तावेज़;

" **ऋण आवेदन** " का अर्थ है निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जो समय-समय पर ऋणी द्वारा वित्तपोषण प्राप्त करने के लिए डीएमआई को प्रस्तुत किया जाता है;

" **मुख्य तथ्य पत्रक** " का तात्पर्य डीएमआई और उधारकर्ता के बीच समय-समय पर निष्पादित मुख्य तथ्य पत्रक से है;

" **भौतिक प्रतिकूल प्रभाव** " का अर्थ है कोई भी घटना जो डीएमआई की राय में (i) उधारकर्ता की देनदारियों का भुगतान करने की क्षमता या (ii) उधारकर्ता की देनदारियों की वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी;

" **अतिदेय प्रभार" का** अर्थ मुख्य तथ्य पत्रक में निर्धारित डिफ़ॉल्ट ब्याज है जो उन सभी राशियों पर देय है जिनका भुगतान उनकी संबंधित देय तिथियों पर नहीं किया जाता है;

" **उद्देश्य** " का तात्पर्य मुख्य तथ्य पत्रक में उल्लिखित प्रत्येक ड्रॉडाउन के उपयोग से है।

" **उत्पाद प्रकार** " का तात्पर्य मुख्य तथ्य पत्रक पर हस्ताक्षर करते समय उधारकर्ता द्वारा चुने गए व्यक्तिगत ऋण/सुविधा के मॉडल या प्रकार से है।

"विक्रेता" का तात्पर्य उन विक्रेताओं से है, जिनमें समय-समय पर डीएमआई द्वारा अनुमोदित ई-कॉमर्स वेबसाइट भी शामिल है, जिसके संबंध में किसी भी उत्पाद की खरीद के लिए डीएमआई द्वारा वित्तपोषण प्रदान किया जाएगा।

" **सदस्यता** " का अर्थ उधारकर्ता और डीएमआई के बीच एक व्यवस्था है, जिसमें उधारकर्ता को सहमत उत्पाद प्रकार के लिए उधारकर्ता से एक बार की सहमति के साथ नियमित अंतराल पर स्वीकृत सुविधा से पूर्व निर्धारित ड्रॉडाउन प्राप्त होता रहेगा और सदस्यता तब तक जारी रहेगी जब तक कि डीएमआई और उधारकर्ता के बीच सहमत सदस्यता अवधि के अनुसार इसकी अनुमति न हो।

" **सदस्यता अवधि** " का तात्पर्य मुख्य तथ्य पत्र के अनुसार डीएमआई और उधारकर्ता के बीच तय की गई अवधि से है जिसके लिए सदस्यता जारी रहेगी।

1.1ए. इस जी.सी. में, (ए) एकवचन में बहुवचन शामिल है (और इसके विपरीत) और (बी) लिंग के संदर्भ में महिला, पुरुष और तटस्थ लिंग के संदर्भ शामिल होंगे।

2. **संवितरण**

2.1 उधारकर्ता को उपलब्धता अवधि के दौरान एक पूर्व निर्धारित निकासी प्राप्त होगी जो कि मुख्य तथ्य पत्र पर हस्ताक्षर करते समय उधारकर्ता द्वारा चुने गए उत्पाद प्रकार पर निर्भर करेगी। डीएमआई के पास उधारकर्ता द्वारा किसी भी समय ऐसी

सदस्यता को अनुमति देने या अस्वीकार करने का एकमात्र और पूर्ण विवेक होगा। उधारकर्ता द्वारा प्राप्त की जाने वाली सुविधा सदस्यता की प्रकृति में होगी और सदस्यता अवधि के दौरान जारी रहेगी। किसी भी चीज़ के बावजूद डीएमआई के पास उधारकर्ता द्वारा किसी भी समय अपने विवेक पर या उधारकर्ता द्वारा सुविधा के पुनर्भुगतान में किसी भी चूक के कारण सदस्यता को रोकने, रद्द करने या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा, जैसा कि वह उचित समझे।

2.2 उधारकर्ता को मुख्य तथ्य पत्रक में उल्लिखित गैर-वापसीयोग्य प्रसंस्करण शुल्क तथा उस पर कर का भुगतान करना होगा, जिसे प्रथम आहरण में मानित संवितरण के रूप में जोड़ा जा सकता है तथा उधारकर्ता तदनुसार सम्पूर्ण आहरण के लिए उत्तरदायी होगा।

3. ब्याज और पुनर्भुगतान

3.1 उधारकर्ता सुविधा के उधारकर्ता द्वारा किए गए प्रत्येक ड्रॉडाउन पर ब्याज (यदि लागू हो) का भुगतान करेगा और मुख्य तथ्य पत्रक में दिए गए अनुसार अन्य सभी देय राशियों का भुगतान करेगा और ब्याज मासिक आधार पर संयोजित किया जाएगा। उधारकर्ता संपूर्ण ड्रॉडाउन राशि के लिए उत्तरदायी होगा और प्रत्येक ड्रॉडाउन के लिए पूरी राशि का भुगतान करेगा। हालाँकि, ऐसे मामलों में, यदि किस्त का भुगतान नियत तिथि पर नहीं किया जाता है, तो सभी अतिदेय राशियों पर निर्धारित दर (" **अतिदेय शुल्क** ") पर ब्याज अर्जित होगा, जिसकी गणना भुगतान के लिए संबंधित देय तिथियों से की जाएगी और ब्याज मासिक आधार पर संयोजित किया जाएगा।

3.2 प्रत्येक ड्रॉडाउन की अवधि मुख्य तथ्य पत्रक में दिए गए अनुसार होगी। ई.एम.आई. द्वारा ई.एम.आई. द्वारा गणना की जाएगी, जैसा कि ड्रॉडाउन के संबंधित अवधि के भीतर परिशोधन के लिए आवश्यक है और उस पर देय ब्याज अधिकतम ई.एम.आई. से अधिक नहीं होगा। जैसा कि मुख्य तथ्य पत्रक में दिया गया है। ईएमआई यह केवल बकाया मूलधन और उस पर ब्याज के लिए होगा तथा इसमें वित्तीय दस्तावेजों के अनुसार उधारकर्ता द्वारा देय कोई भी डिफ़ॉल्ट ब्याज या कोई अन्य शुल्क शामिल नहीं होगा।

3.3 प्रत्येक ईएमआई का भुगतान समय पर भुगतान करना अनुबंध का सार है। उधारकर्ता स्वीकार करता है कि उसने EMI की गणना की विधि को समझ लिया है और वह इस पर विवाद नहीं करेगा।

3.4 वित्तीय दस्तावेजों में कहीं और कही गई किसी भी बात के बावजूद, उधारकर्ता की सभी बकाया राशि, जिसमें EMI भी शामिल है, उधारकर्ता द्वारा DMI को तब देय होगी जब DMI द्वारा मांग की जाएगी, अपने विवेकानुसार और बिना किसी कारण बताए। उधारकर्ता को ऐसी राशि बिना किसी देरी या आपत्ति के, ऐसी मांग के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर चुकानी होगी।

3.5 डीएमआई ब्याज दर/किसी अन्य शुल्क को संशोधित करने का हकदार होगा और डीएमआई बकाया सुविधा और ब्याज के पुनर्भुगतान के लिए ईएमआई/ईएमआई की संख्या की पुनः गणना कर सकता है। डीएमआई द्वारा उधारकर्ता को सूचित किया गया ऐसा कोई भी परिवर्तन भावी रूप से लागू होगा (यदि किसी लागू कानून के तहत ऐसा आवश्यक हो) और उधारकर्ता पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। ऐसे संशोधन के मामले में उधारकर्ता ऐसे संशोधन के 30 (तीस) दिनों के भीतर, बिना किसी पूर्व भुगतान दंड के, अर्जित ब्याज (यदि लागू हो) के साथ पूरी बकाया सुविधा का पूर्व भुगतान करने का हकदार होगा।

3.6 **भुगतान में देरी की स्थिति में, डीएमआई के अन्य सभी अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, डीएमआई विलंब की अवधि के लिए उधारकर्ता से अतिदेय प्रभार (मुख्य तथ्य पत्र में निर्धारित अनुसार) प्राप्त करने का हकदार होगा।**

3.7 उधारकर्ता किसी भी ड्रॉडाउन का भुगतान निर्धारित अवधि से पहले केवल डीएमआई की पूर्व स्वीकृति से तथा डीएमआई द्वारा निर्धारित शर्तों और पूर्वभुगतान शुल्क के अधीन कर सकता है।

3.8 ऋणकर्ता को सभी ब्याज, कर, शुल्क, उपकर और अन्य प्रकार के करों का वहन करना होगा, चाहे वे अभी लागू हों या भविष्य में, किसी भी कानून के तहत किसी भी समय वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत डीएमआई को किए गए किसी भी भुगतान के संबंध में देय होंगे। यदि ये डीएमआई द्वारा वहन किए जाते हैं, तो ये ऋणकर्ता से वसूल किए जाएँगे और भुगतान की तिथि से प्रतिपूर्ति तक अतिदेय शुल्क की दर से ब्याज लगेगा।

3.9 वित्तपोषण दस्तावेजों में निहित किसी भी विपरीत नियम व शर्तों के बावजूद, उधारकर्ता द्वारा चुकाई गई राशि को सबसे पहले लागत, प्रभार, व्यय और अन्य धनराशियों के लिए; दूसरे, अतिदेय प्रभारों (यदि कोई हो) के लिए; तीसरे, ब्याज के लिए; और अंत में सुविधा की मूल राशि के पुनर्भुगतान के लिए विनियोजित किया जाएगा।

3.10 ब्याज (यदि लागू हो), अतिदेय प्रभार और अन्य सभी प्रभार दिन-प्रतिदिन अर्जित होंगे और इनकी गणना वर्ष के 360 दिनों और वास्तव में बीते दिनों की संख्या के आधार पर की जाएगी।

3.11 यदि किसी भुगतान की देय तिथि कोई व्यावसायिक दिन नहीं है, तो उधारकर्ता द्वारा राशि का भुगतान तत्काल अगले व्यावसायिक दिन पर किया जाएगा।

3.12 डीएमआई को उधारकर्ता द्वारा देय सभी राशि बिना किसी कटौती के चुकाई जाएगी। भुगतान के लिए क्रेडिट/डिस्चार्ज केवल देय राशि की वसूली पर ही दिया जाएगा।

4. भुगतान, पुनर्भुगतान और पूर्व भुगतान का तरीका

4.1 ऋणि को, समय-समय पर डीएमआई द्वारा अपेक्षित अनुसार, (i) ("ई-मैंडेट") या (ii) राष्ट्रीय स्वचालित क्लियरिंग हाउस (डेबिट क्लियरिंग)/ कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक या अन्य क्लियरिंग मैंडेट (सामूहिक रूप से "एनएसीएच" के रूप में संदर्भित)

प्रदान करना होगा, जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा ऋणि के बैंक खाते के विरुद्ध देय राशि के भुगतान के लिए अधिसूचित किया गया हो। ऐसा ई-मैंडेट/एनएसीएच ऐसे बैंक से और ऐसे स्थान से निकाला जाएगा, जैसा कि डीएमआई द्वारा सहमति व्यक्त की गई हो। ऋणि को पहली प्रस्तुति/ देय तिथियों पर बिना चूक के सभी भुगतानों का सम्मान करना होगा। ऋणि द्वारा प्रदान किया गया ई-मैंडेट/एनएसीएच डीएमआई द्वारा ऋणि के किसी भी बकाए की वसूली के लिए उपयोग किया जा सकता है। ऋणि बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से डीएमआई को ऐसी वसूली के लिए आवश्यक सभी कार्रवाई करने के लिए अधिकृत करता है। उधारकर्ता को तुरंत (और किसी भी स्थिति में सात (7) दिनों के भीतर) ई-मैनडेट और/या एनएसीएच और/या उधारकर्ता के बकाये के भुगतान के लिए निष्पादित अन्य दस्तावेजों को बदलना होगा, जैसा कि डीएमआई द्वारा समय-समय पर अपने विवेक पर आवश्यक हो सकता है।

4.2 उधारकर्ता को हर समय अपने बैंक खाते में पर्याप्त धनराशि रखनी होगी ताकि वह संबंधित देय तिथियों पर उधारकर्ता की बकाया राशि का भुगतान कर सके। उधारकर्ता उस बैंक खाते को बंद नहीं करेगा जिससे ई-मैनडेट/एनएसीएच जारी किया गया है या ई-मैनडेट/एनएसीएच के तहत भुगतान रोकने या देरी करने के लिए बैंक या डीएमआई को निर्देश जारी नहीं करेगा और डीएमआई ऐसे किसी भी संचार पर ध्यान देने के लिए बाध्य नहीं है।

4.3 उधारकर्ता इस बात से सहमत है और स्वीकार करता है कि ई-मैनडेट/एनएसीएच उधारकर्ता के बकाया के भुगतान के लिए स्वैच्छिक रूप से जारी किया गया है, न कि किसी भी उद्देश्य के लिए सुरक्षा के रूप में। उधारकर्ता यह भी स्वीकार करता है कि किसी भी ई-मैनडेट/एनएसीएच का अनादर करना परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881/भुगतान और निपटान अधिनियम, 2007 के तहत एक आपराधिक अपराध है। उधारकर्ता प्रत्येक ई-मैनडेट/एनएसीएच अनादर के लिए अनादर शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा (जैसा कि मुख्य तथ्य पत्रक में निर्धारित है)।

4.4 किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद या मतभेद, चाहे वह कोई भी हो, उधारकर्ता को किसी भी ईएमआई या अन्य राशि के भुगतान को रोकने या विलंबित करने का अधिकार नहीं देगा और डीएमआई संबंधित देय तिथियों पर ई-मैंडेट/एनएसीएच प्रस्तुत करने का हकदार होगा।

4.5 ई-मैन्डेट/एनएसीएच जारी होने के बावजूद, ऋणी बकाया राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

4.6 उधारकर्ता इस बात से सहमत है और स्वीकार करता है कि ई-मैन्डेट/एनएसीएच के अलावा अन्य तरीकों से बकाया राशि का भुगतान करने की स्थिति में, लेनदेन के लिए अतिरिक्त शुल्क लग सकता है और इसका भुगतान उधारकर्ता द्वारा किया जाएगा।

5. उधारकर्ता की शर्तें, प्रतिनिधित्व और वारंटी

5.1 उधारकर्ता को:

(i) वित्तपोषण दस्तावेजों के अंतर्गत अपने सभी दायित्वों का पालन और निष्पादन करना।

(ii) डीएमआई को सभी दस्तावेज तुरंत सौंपे, जिसमें बैंक खाता विवरण भी शामिल है, जिसकी डीएमआई को समय-समय पर आवश्यकता हो सकती है। उधारकर्ता डीएमआई को स्वतंत्र रूप से (i) किसी भी बैंक के साथ संवाद करने के लिए अधिकृत करता है, जहां उधारकर्ता का खाता है और बैंक से ऐसे खाते के संबंध में विवरण और विवरण प्राप्त करने के लिए और (ii) किसी भी उधारकर्ता के किसी भी नियोक्ता के साथ, जिसे डीएमआई आवश्यक समझे, जिसमें उधारकर्ता की ऋण-योग्यता की निगरानी करना भी शामिल है।

(iii) किसी भी उधारकर्ता के विरुद्ध किसी भी मुकदमे या कानूनी कार्यवाही की सूचना डीएमआई को तुरंत दें।

(iv) किसी भी भौतिक प्रतिकूल प्रभाव या चूक की घटना के बारे में डीएमआई को सूचित करना।

(v) कार्यालय/निवास/व्यवसाय के स्थान/पते में सभी परिवर्तनों या रोजगार/पेशे/व्यवसाय में किसी भी परिवर्तन/त्यागपत्र/समाप्ति/बंद होने की लिखित सूचना डीएमआई को दें।

(vi) रोजगार या व्यवसाय के लिए भारत नहीं छोड़ना चाहिए या विदेश में लंबी अवधि तक नहीं रहना चाहिए, बकाया सुविधा को ब्याज और अन्य शुल्कों सहित पूरी तरह से चुकाए बिना।

(vii) वित्तपोषण दस्तावेजों में निर्दिष्ट अनुसार या किसी भी उधारकर्ता की ऋण पात्रता में किसी भी परिवर्तन (डीएमआई द्वारा निर्धारित) के मामले में डीएमआई द्वारा अपेक्षित अनुसार सुरक्षा प्रदान करना।

(viii) वेतन और/या व्यावसायिक आय को उस खाते में जमा करना सुनिश्चित करें जिससे डीएमआई को मैनडेट्स/ईसीएस जारी किए गए हैं।

(ix) प्रथम ड्रॉडाउन के दिन या उससे पहले डी.एम.आई. द्वारा अपेक्षित क्रेडिट जीवन बीमा पॉलिसी लें, जिसमें दुर्घटना, मृत्यु, स्थायी विकलांगता और बेरोजगारी के लिए कवर तथा डी.एम.आई. को स्वीकार्य अन्य शर्तें शामिल होंगी।

(x) धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 सहित लागू कानूनों का हर समय अनुपालन करना।

(xi) प्रत्येक ड्रॉडाउन का उपयोग केवल उद्देश्य के लिए करें।

5.2 प्रत्येक उधारकर्ता डीएमआई के समक्ष निम्नानुसार प्रतिनिधित्व और वारंट करता है:

(i) ऋण आवेदन में उधारकर्ता द्वारा दी गई सभी जानकारी और अन्य दस्तावेज, चाहे वह उधारकर्ता की ऋण पात्रता का पता लगाने के लिए प्रासंगिक हो या न हो, सत्य और सही है और किसी भी तरह से भ्रामक नहीं है;

(ii) ऋणकर्ता सभी लागू कानूनों के तहत वित्तपोषण दस्तावेजों और उसके तहत लेनदेन को निष्पादित करने और निष्पादित करने में सक्षम और हकदार है;

(iii) उधारकर्ता की आयु 18 वर्ष से अधिक है और यह जी.सी. उस पर एक कानूनी, वैध और बाध्यकारी दायित्व है, जो इसकी शर्तों के अनुसार उसके विरुद्ध लागू किया जा सकता है;

(iv) उधारकर्ता यह घोषणा करता है कि उसे इस सुविधा का लाभ उठाने से किसी भी कानून द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया है;

(v) उधारकर्ता यह घोषणा करता है कि वह सदस्यता मॉडल की कार्यप्रणाली को समझता है और अपनी स्वतंत्र इच्छा से तथा किसी तीसरे पक्ष के दबाव/प्रभाव/दबाव के बिना मुख्य तथ्य पत्रक के अनुसार सुविधा का लाभ उठाने के लिए सहमति देता है।

(vi) ऐसी कोई घटना नहीं घटी है जो डीएमआई के हित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी या उधारकर्ता की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगी या वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत अपने सभी या किसी भी दायित्व को पूरा करने के लिए उसकी देयता को प्रभावित करेगी;

(vii) उधारकर्ता किसी भी कर या सरकारी बकाया का भुगतान करने में चूककर्ता नहीं है;

(viii) उधारकर्ता इस जी.सी. की शर्तों को प्रभावी करने के लिए डी.एम.आई. द्वारा अपेक्षित सभी कार्य, कर्म और चीजें करेगा;

(ix) उधारकर्ता के विरुद्ध किसी भी दिवालियापन या दिवालियापन की कार्यवाही का प्रारंभ।

5.3 ऋणकर्ता डी.एम.आई. को ऋणकर्ता द्वारा प्रदान की गई या डी.एम.आई. द्वारा अन्यथा प्राप्त की गई सभी सूचनाओं को इस सुविधा के प्रयोजनों या इसके व्यवसाय के लिए जिस तरह से वह उचित समझे, उपयोग/भंडारित करने के लिए अपनी सहमति देता है और यह समझता है तथा सहमत है कि डी.एम.आई. ऐसी सूचनाओं को अपने ठेकेदारों, एजेंटों और किसी भी अन्य तृतीय पक्ष को प्रकट कर सकता है।

6. डिफ़ॉल्ट की घटनाएँ

6.1 निम्नलिखित कार्य/घटनाएँ, प्रत्येक सुविधा के प्रयोजनों के लिए उधारकर्ता द्वारा "डिफ़ॉल्ट की घटना" का गठन करेंगी:

(i) उधारकर्ता निर्धारित तिथि पर किसी भी उधारकर्ता की बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहता है;

(ii) वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत किसी भी शर्त, अनुबंध, प्रतिनिधित्व, वारंटी, घोषणा या पुष्टि का उल्लंघन;

(iii) उधारकर्ता द्वारा कोई धोखाधड़ी या गलत बयानी या महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाना, जिससे डीएमआई द्वारा कोई सुविधा प्रदान करने के निर्णय पर प्रभाव पड़ सकता हो;

(iv) उधारकर्ता की मृत्यु, पागलपन या कोई अन्य स्थायी विकलांगता;

(v) उधारकर्ता ड्रॉडाउन का उपयोग उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए करता है;

(vi) किसी भी घटना, स्थिति या परिस्थिति (कानून में किसी भी परिवर्तन सहित) का घटित होना, जो डीएमआई के एकमात्र और पूर्ण विचार में भौतिक प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, जिसमें उधारकर्ता के दिवालियापन/परिसमापन/दिवालियापन के लिए किसी भी कार्यवाही या कार्रवाई की सीमा या उसकी किसी भी संपत्ति की कुर्की/प्रतिबंध शामिल है;

6.2 डीएमआई का निर्णय कि चूक की घटना घटित हुई है या नहीं, उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगा।

7. चूक के परिणाम

7.1 किसी भी डिफ़ॉल्ट की घटना के घटित होने पर और उसके बाद किसी भी समय, डीएमआई को यह अधिकार होगा कि वह उधारकर्ता द्वारा सुविधा के लिए सदस्यता को रोक दे, सुविधा के संबंध में बकाया सभी रकम को, चाहे देय हो या नहीं, तुरंत चुकाने योग्य घोषित कर दे और उधारकर्ता द्वारा 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर उक्त भुगतान करने में विफल रहने पर, डीएमआई अपने विवेक से किसी भी अन्य अधिकार या उपाय का प्रयोग कर सकता है जो डीएमआई को किसी भी लागू कानून के तहत उपलब्ध हो सकता है, जिसमें उधारकर्ता या उनकी संपत्तियों के खिलाफ कोई निषेधाज्ञा राहत या कुर्की की मांग करना शामिल है। पूर्वोक्त के बावजूद, उधारकर्ता द्वारा ऐसे भुगतान की देय तिथि से 90 (नब्बे) दिनों के भीतर उधारकर्ता के बकाए का भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में, डीएमआई को, अन्य बातों के साथ, उसे एक गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत करने और क्रेडिट ब्यूरो को तदनुसार रिपोर्ट करने का अधिकार होगा।

7.2 उधारकर्ता पूर्वोक्त चूकों या डीएमआई उपायों के प्रयोग के परिणामस्वरूप उत्पन्न सभी कानूनी और अन्य लागतों और खर्चों के भुगतान के लिए भी उत्तरदायी होगा ।

8. खुलासे

8.1 उधारकर्ता स्वीकार करता है और DMI को उधारकर्ता, सुविधा, ड्रॉडाउन, उधारकर्ता द्वारा किए गए डिफ़ॉल्ट (यदि कोई हो) से संबंधित सभी जानकारी और डेटा को ऐसे तृतीय पक्ष/एजेंसियों को प्रकट करने के लिए अधिकृत करता है, जिन्हें DMI प्रकट करने के लिए उचित और आवश्यक समझे और/या RBI द्वारा अधिकृत किया जाए, जिसमें ट्रांसयूनियन CIBIL लिमिटेड (CIBIL) शामिल है। उधारकर्ता यह भी स्वीकार करता है और अधिकृत करता है कि ऐसी जानकारी का उपयोग, प्रसंस्करण DMI/तृतीय पक्ष/CIBIL/RBI द्वारा किया जाए, जैसा वे उचित समझें और लागू कानूनों के अनुसार। इसके अलावा, डिफ़ॉल्ट की स्थिति में, DMI और ऐसी एजेंसियों के पास उधारकर्ता /या उसके निदेशकों/भागीदारों/सह-आवेदकों

का नाम, जैसा लागू हो, 'डिफॉल्टर' के रूप में ऐसे तरीके से और ऐसे माध्यम से प्रकट करने या प्रकाशित करने का पूर्ण अधिकार होगा, जैसा DMI/CIBIL/ RBI /

8.2 उधारकर्ता डीएमआई को अभी या भविष्य में जानकारी साझा करने और/या प्रकट करने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएगा और उधारकर्ता और/या अन्य को इसके कारण होने वाले किसी भी परिणाम के लिए भी जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। इस खंड 8 के प्रावधान जीसी की समाप्ति और उधारकर्ता के बकाया के पुनर्भुगतान के बाद भी लागू रहेंगे।

9. मिश्रित

9.1 डी.एम.आई. के अभिलेखों में की गई प्रविष्टियां उधारकर्ता की देयताओं के अस्तित्व और राशि का निर्णायक साक्ष्य होंगी तथा डी.एम.आई. द्वारा प्रस्तुत देयताओं का कोई भी विवरण उधारकर्ता द्वारा स्वीकार किया जाएगा तथा उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगा।

9.2 यदि एक से अधिक उधारकर्ताओं ने किसी सुविधा के लिए संयुक्त रूप से आवेदन किया हो तो उधारकर्ता की देनदारियों के पुनर्भुगतान के लिए उधारकर्ता की देयता संयुक्त और अलग-अलग होगी।

9.3 ऋणकर्ता सभी दस्तावेजों और संशोधनों को निष्पादित करेगा और डीएमआई द्वारा अपेक्षित डीएमआई के साथ सहयोग करेगा (i) किसी भी आरबीआई दिशा-निर्देशों/निर्देशों का अनुपालन करने के लिए या (ii) डीएमआई को वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत अधिकारों का पूरा लाभ देने के लिए। पूर्वोक्त के प्रति पूर्वाग्रह के बिना ऋणकर्ता इस बात पर अपरिवर्तनीय रूप से सहमति देता है कि ऐसा न करने पर, ऐसे परिवर्तनों को वित्तपोषण दस्तावेजों में शामिल माना जाएगा और ऋणकर्ता पर बाध्यकारी होगा।

9.4 किसी भी सुविधा के निलंबन या समाप्ति के बावजूद, वित्तपोषण दस्तावेजों के अनुसार डीएमआई के सभी अधिकार और उपचार तब तक जारी रहेंगे जब तक कि डीएमआई को उधारकर्ता की बकाया राशि पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो जाती।

9.5 उधारकर्ता यह स्वीकार करता है कि ब्याज दर, दंडात्मक शुल्क, सेवा शुल्क और अन्य देय शुल्क और/या वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत उधारकर्ता द्वारा भुगतान करने के लिए सहमत शुल्क उसके लिए उचित और स्वीकार्य हैं।

9.6 उधारकर्ता स्पष्ट रूप से यह मानता और स्वीकार करता है कि डीएमआई, स्वयं या अपने कार्यालय कर्मचारियों के माध्यम से ऐसी गतिविधियों को करने के अपने अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एक या एक से अधिक तीसरे पक्ष (जिसे आगे " **सेवा प्रदाता** " कहा जाएगा) को नियुक्त करने का हकदार होगा और उसके पास पूर्ण शक्ति और अधिकार होगा, जैसा कि डीएमआई चुन सकता है और ऐसे पक्ष को उधारकर्ता प्रशासन से संबंधित जानकारी के स्रोत, पहचान और सत्यापन से संबंधित वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत अपने सभी या किसी भी कार्य, अधिकार और शक्ति को सौंप सकता है, सुविधा की निगरानी कर सकता है और —नोटिस भेजने, उधारकर्ता से संपर्क करने, डीएमआई के पक्ष में उधारकर्ता से नकद / चेक / ड्राफ्ट / अधिदेश प्राप्त करने सहित सभी वैध कृत्यों, कार्यों, मामलों और उससे संबंधित चीजों को निष्पादित और निष्पादित कर सकता है। सेवा प्रदाता को उधारकर्ता से देय किसी भी बकाया राशि के लिए ऋणदाता द्वारा वसूली / संग्रह एजेंट के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है

9.7 उधारकर्ता स्वीकार करता है कि इस वित्तपोषण लेनदेन से उसके और डीएमआई के बीच देनदार और लेनदार का रिश्ता बनता है, न कि डीएमआई द्वारा दी गई/दी जाने वाली किसी सेवा के संबंध में। तदनुसार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधान इस लेनदेन पर लागू नहीं होंगे।

9.8 उधारकर्ता डीएमआई को सभी सूचनाओं और दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए अधिकृत करता है, जिसमें आय प्रमाण दस्तावेज, निवास दस्तावेज, पता प्रमाण दस्तावेज, पहचान दस्तावेज और व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी वाले अन्य ऐसे दस्तावेज शामिल हैं जो किसी भी सुविधा को प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं और वे डीएमआई द्वारा बाद में उन्हें बनाए रखने के लिए भी सहमति देते हैं।

9.9 ऋणकर्ता डीएमआई को समय-समय पर ऋणकर्ता का पैन नंबर/पैन कार्ड की प्रति, अन्य पहचान प्रमाण और बैंक खाता विवरण प्राप्त करने और सीआईबीआईएल, एक्सपेरियन, हंटर रिपोर्ट और ऐसी अन्य रिपोर्ट बनाने/प्राप्त करने के लिए अधिकृत करता है, जब भी डीएमआई उचित समझे। ऋणकर्ता इसके द्वारा डीएमआई को आधार ई-केवाईसी या अन्यथा द्वारा अपना केवाईसी सत्यापन करने और आधार ई-केवाईसी सहित ऐसे सत्यापन की प्रक्रिया को विधिवत पूरा करने के लिए अपनी ओर से या अन्यथा आवश्यक सभी कार्यवाहियों को करने और ऐसी जानकारी को किसी भी प्राधिकरण के साथ साझा करने और ऐसी जानकारी को उस तरीके से संग्रहीत करने के लिए अधिकृत करता है, जिसे वह उचित समझे।

9.10 किसी भी घटना, परिस्थिति, परिवर्तन, तथ्य संबंधी जानकारी, दस्तावेज, प्राधिकरण, कार्यवाही, कृत्य, चूक, दावे, उल्लंघन, चूक या अन्यथा सहित किसी भी मामले की भौतिकता के संबंध में डीएमआई और उधारकर्ता के बीच किसी भी असहमति या विवाद की स्थिति में, उपरोक्त में से किसी की भौतिकता के संबंध में डीएमआई की राय अंतिम होगी और उधारकर्ता पर बाध्यकारी होगी।

9.11 ऋणी और डी.एम.आई. जी.सी. की शर्तों और नियमों पर तथा डी.एम.आई. द्वारा अपेक्षित ऋणी द्वारा ऐसे किसी अन्य पत्र/वचनपत्र के निष्पादन के आधार पर, नई सुविधा प्रदान करने पर पारस्परिक रूप से सहमत हो सकते हैं।

10. गंभीरता

उधारकर्ता यह स्वीकार करता है कि इन वित्तपोषण दस्तावेजों के अंतर्गत उसका प्रत्येक दायित्व स्वतंत्र है तथा शेष से पृथक है।

11. शासन कानून और अधिकार क्षेत्र

11.1 सभी सुविधाएं और वित्तपोषण दस्तावेज भारत के कानूनों के अनुसार शासित और व्याख्या किए जाएंगे।

11.2 इन प्रस्तुतियों से उत्पन्न होने वाले सभी विवाद, मतभेद और/या दावे या इनके निर्माण, अर्थ या प्रभाव के बारे में या वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत पार्टियों के अधिकार और दायित्वों के बारे में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 या इसके किसी भी वैधानिक संशोधन या इसके प्रतिस्थापन के लिए अधिनियमित किसी भी क़ानून के प्रावधान के अनुसार मध्यस्थता द्वारा निपटाए जाएँगे और डीएमआई द्वारा नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की एकमात्र मध्यस्थता के लिए भेजे जाएँगे। मध्यस्थता का स्थान दिल्ली होगा और कार्यवाही अधिनियम की धारा 29(बी) में निर्धारित फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के तहत होगी। मध्यस्थता के अंतरिम पुरस्कारों सहित पुरस्कार अंतिम होंगे और सभी संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होंगे। मध्यस्थ ऐसे पुरस्कार में कोई कारण बताए बिना पुरस्कार पारित कर सकता है।

11.3 इसके अलावा, वर्तमान खंड वित्तपोषण दस्तावेजों की समाप्ति के बाद भी लागू रहेगा। दिल्ली, भारत के न्यायालयों को वित्तपोषण दस्तावेजों से उत्पन्न होने वाले किसी भी या सभी विवादों पर विशेष अधिकार क्षेत्र (मध्यस्थता कार्यवाही के अधीन जो दिल्ली, भारत में भी आयोजित की जानी है) होगा।

12. नोटिस

12.1 वित्तीय दस्तावेजों के संबंध में उधारकर्ता को दिया जाने वाला कोई भी नोटिस तभी वैध माना जाएगा जब उसे उधारकर्ता को दिया जाए या पंजीकृत डाक से उधारकर्ता के मौजूदा या अंतिम ज्ञात व्यावसायिक या निजी पते पर भेजा जाए या छोड़ा जाए। पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया ऐसा कोई भी नोटिस उधारकर्ता को पोस्ट किए जाने के 48 घंटों के भीतर प्राप्त हुआ माना जाएगा। डीएमआई को दिया जाने वाला कोई भी नोटिस तभी वैध माना जाएगा जब वह डीएमआई द्वारा उसके ऊपर बताए गए पते पर प्राप्त किया गया हो।

12.2 सुविधा के संबंध में उधारकर्ता को किसी भी शिकायत के लिए, वह मुख्य तथ्य विवरण में उल्लिखित विवरण के माध्यम से ऋणदाता से संपर्क कर सकता है।

13. कार्यभार

13.1 ऋणी को डीएमआई की पूर्व लिखित सहमति के बिना वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत अपने सभी या किसी भी अधिकार या दायित्व या कर्तव्यों को संयुक्त रूप से या अलग-अलग किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित या सौंपने या किसी व्यक्ति के पक्ष में कोई तृतीय-पक्ष हित बनाने का अधिकार नहीं होगा।

13.2 डीएमआई को किसी भी तरीके से (पूरी तरह या आंशिक रूप से और भागीदारी अधिकारों के अनुदान के माध्यम से) वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत अपने सभी या किसी भी लाभ, अधिकार, दायित्व, कर्तव्यों और / या देनदारियों को बेचने, हस्तांतरित करने, सौंपने या सुरक्षित करने का अधिकार होगा, उधारकर्ता की पूर्व लिखित सहमति के बिना या उसे सूचित किए बिना, ऐसे तरीके और शर्तों के अनुसार जो डीएमआई तय कर सकता है। ऐसे हस्तांतरण, असाइनमेंट या प्रतिभूतिकरण की स्थिति में, उधारकर्ता ऐसे असाइनी या ट्रांसफरर के लिए वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत अपने दायित्व का पालन करेगा और उसे पूरा करने के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसी स्थिति में, उधारकर्ता डीएमआई द्वारा ऐसा करने के लिए कहे जाने पर ट्रांसफरी/असाइनी के पक्ष में शेष MANDATES/ECS को प्रतिस्थापित करेगा।

14. हानि से सुरक्षा

ऋणकर्ता इसके द्वारा समय-समय पर और हर समय डीएमआई, उसके कर्मचारियों, प्रतिनिधियों और सलाहकारों को किसी भी देयता, दावे, हानि, निर्णय, क्षति, लागत या व्यय (सीमा के बिना, युक्तिसंगत वकील की फीस और व्यय सहित) के विरुद्ध क्षतिपूर्ति, बचाव और हानिरहित रखता है, जो ऋणकर्ता द्वारा वित्तपोषण दस्तावेजों में निहित किसी भी नियम और शर्तों और दायित्वों का पालन करने या निष्पादित करने में विफलता या चूक की घटना या डीएमआई द्वारा वित्तपोषण दस्तावेजों के तहत किसी भी अधिकार का प्रयोग करने के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है, जिसमें ऋणकर्ता के बकाए की किसी भी सुरक्षा या वसूली का प्रवर्तन शामिल है।

15. डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ("**डीएमआई**") सभी ग्राहकों को सूचित करना चाहता है कि, आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार - **भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा जारी 12 नवंबर, 2021 के स्पष्टीकरण, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है,** कंपनी उधारकर्ता खातों में प्रारंभिक तनाव को, डिफ़ॉल्ट पर तुरंत, उन्हें **विशेष उल्लेख खातों के** रूप में वर्गीकृत करके पहचान लेगी। **("एसएमए")** वर्गीकरण के नीचे उल्लिखित आधार के अनुसार;

"**अतिदेय तिथि**" **से** तात्पर्य उस तिथि से है जिस दिन उधारकर्ता खातों को दिन की अंतिम प्रक्रिया के भाग के रूप में अतिदेय के रूप में चिह्नित किया जाएगा।

उदाहरण: यदि ऋण खाते की देय तिथि महीने की 15-मार्च-22 है और कंपनी द्वारा इस तिथि के लिए डे-एंड प्रक्रिया चलाने से पहले पूर्ण बकाया राशि प्राप्त नहीं होती है, तो उधारकर्ता को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा -

ईएमआई की देय तिथि	15-मार्च-22	देय तिथि से अधिक दिन (DPD)	-
EMI अतिदेय	15-मार्च-22	0-30	एसएमए0
EMI बकाया रह गई है (प्रक्रिया के अंतिम दिन तक प्राप्त नहीं हुई)	14-अप्रैल-22	31-60	एसएमए1
EMI बकाया रह गई	14-मई-22	61-90	एसएमए2
EMI बकाया रह गई	13-जून-22	91 और उससे अधिक	एनपीए

एनपीए के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों को 'मानक' परिसंपत्ति के रूप में तभी अपग्रेड किया जा सकता है, जब उधारकर्ता द्वारा ब्याज और मूलधन का संपूर्ण बकाया चुका दिया गया हो।

उदाहरण:

विवरण	परिद्रश्य 1*	परिदृश्य 2
ऋण वर्गीकरण	एनपीए	एनपीए
ईएमआई राशि	5,000	5,000
अतिदेय EMI	15,000	15,000
भुगतान प्राप्त	5,000	15,000
शेष अतिदेय EMI	10,000	-
ऋण वर्गीकरण	जब तक संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान नहीं हो जाता, उधारकर्ता को एनपीए के रूप में रिपोर्ट किया जाता रहेगा	मानक

**आरबीआई परिपत्र संख्या आरबीआई/2021-2022/158 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.85/21.04.048/2021-22 दिनांक 15 फरवरी, 2022 के संदर्भ में, परिदृश्य 1 (एनपीए के रूप में वर्गीकृत को 'मानक' परिसंपत्ति के रूप में तभी अपग्रेड किया जा सकता है, जब ब्याज और मूलधन का पूरा बकाया चुका दिया गया हो) 01 अक्टूबर, 2022 से लागू होगा।*

टिप्पणी

i. एनपीए खातों की रिपोर्टिंग अब डीपीडी आधार पर की जाएगी।

ii. डीएमआई से एक से अधिक ऋण लेने वाले उधारकर्ताओं के मामले में, सभी ऋणों से संबंधित ब्याज और मूलधन के संपूर्ण बकाया का पुनर्भुगतान करने पर ही ऋण खातों को एनपीए से मानक परिसंपत्ति श्रेणी में अपग्रेड किया जाएगा।

iii. किसी खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने से क्रेडिट ब्यूरो द्वारा बनाए गए क्रेडिट स्कोर पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए, डीएमआई सभी उधारकर्ताओं से आग्रह करता है कि वे ऋण चुकौती अनुसूची में उल्लिखित नियत तिथि के अनुसार अपनी ईएमआई का भुगतान करें। इससे क्रेडिट स्कोर में सुधार, दंड से बचने और टॉप-अप ऋण/ऑफ़र के लिए बेहतर पात्रता प्राप्त करने में मदद मिलती है।

iv. हम सभी उधारकर्ताओं को https://portal.dmifinance.in/ पर लॉग इन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ईएमआई का भुगतान करने के लिए।

16. **स्वीकृति:**
मैं/हम जानते हैं कि डीएमआई इस जी.सी. में तभी पक्षकार बनने के लिए सहमत होगा जब मैं/हम द्वारा जी.सी. और अन्य वित्तीय दस्तावेजों में डीएमआई नीति के अनुरूप भरी गई सभी शर्तों और विवरणों के संबंध में खुद को संतुष्ट कर लूंगा। मैं/हम सहमत हैं कि यह जी.सी. उस तिथि को समाप्त हो जाएगी और कानूनी रूप से बाध्यकारी हो जाएगी जब डीएमआई का अधिकृत अधिकारी दिल्ली में इस पर हस्ताक्षर करेगा। या प्रथम संवितरण की तिथि को, जो भी पहले हो।

"मैं स्वीकार करता हूँ" पर क्लिक करके, उधारकर्ता इलेक्ट्रॉनिक रूप से इन जी.सी. पर हस्ताक्षर करता है और इसकी शर्तों से कानूनी रूप से बाध्य होने के लिए सहमत होता है। उधारकर्ता द्वारा इन जी.सी. को स्वीकार करने से निम्नलिखित का निर्माण होगा: (i) उधारकर्ता द्वारा इन जी.सी. में निर्धारित सभी नियमों और शर्तों को अपरिवर्तनीय रूप से स्वीकार करने और बिना शर्त बाध्य होने की सहमति; और (ii) उधारकर्ता द्वारा यह स्वीकार करना और पुष्टि करना कि इन जी.सी. (वित्तपोषण दस्तावेजों के साथ) को उधारकर्ता द्वारा विधिवत पढ़ा और पूरी तरह से समझा गया है।

अनुबंध a

मुख्य तथ्य कथन

दिनांक: **विनियमित इकाई का नाम** **ऋण संदर्भ संख्या:**
डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

आवेदक का नाम:
सह-उधारकर्ता 1:
सह-उधारकर्ता 2:

क्रमांक।	पैरामीटर	विवरण
1	ऋण का प्रकार	एमएसएमई ऋण
2	स्वीकृत/उपयोग की गई राशि	
3	संवितरण अनुसूची (i) चरणबद्ध तरीके से या 100% अग्रिम भुगतान। (ii) यदि यह चरणवार है, तो ऋण की शर्त का उल्लेख करें प्रासंगिक विवरण वाला समझौता	100% अग्रिम
4	ब्याज दर - (घटती हुई)	%
5	ऋण की पूरी अवधि के दौरान कुल ब्याज प्रभार (रुपये में)	
6	**शुल्क/प्रभार** , (यदि कोई हो) (प्रत्येक घटक का विवरण नीचे दिया जाएगा) (रुपये में)	ए+बी+सी
ए	प्रसंस्करण शुल्क, यदि कोई हो (रुपये में)	
बी	बीमा (रुपये में)	
सी	कोई अन्य शुल्क (यदि कोई हो) (रुपये में)	
7	शुद्ध वितरित राशि (रुपये में)	
8	उधारकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि (रुपये में)	
9	वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) %	%
10	ऋण अवधि (वर्ष/महीने/दिन)	महीने
11	उधारकर्ता द्वारा पुनर्भुगतान आवृत्ति (किस्त का प्रकार)	महीने के

12	पुनर्भुगतान की किस्तों की संख्या (ईपीआई की संख्या)	
१३	पुनर्भुगतान की प्रत्येक किस्त की राशि (रुपये में) (ईपीआई राशि)	
14	पहली EMI की देय तिथि (पुनर्भुगतान की शुरुआत, स्वीकृति के बाद)	
15	ऋण भुगतान का तरीका	ई जनादेश
आकस्मिक शुल्क के बारे में विवरण (₹ या % में, जैसा लागू हो)		
16	विलंबित भुगतान शुल्क -	
17	पूर्व-बंदोबस्ती शुल्क -	
18	अतिदेय प्रभार -	
19	अन्य शुल्क (वैकल्पिक मोड/गैर-नच के लिए लागू) - 30 रुपये तक + जीएसटी	
20	एनएसीएच अस्वीकृति शुल्क – 500 रुपये + जीएसटी	
21	**डिजिटल ऋण के मामले में, निम्नलिखित विशिष्ट खुलासे प्रस्तुत किए जा सकते हैं:**	
(ए)	आरई की बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार कूलिंग ऑफ/लुक-अप अवधि, जिसके दौरान उधारकर्ता से ऋण के पूर्व भुगतान पर कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा।	**5 दिन**
(बी)	वसूली एजेंट के रूप में कार्य करने वाले तथा उधारकर्ता से संपर्क करने के लिए अधिकृत एलएसपी का विवरण	**डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड**
22	वसूली एजेंटों की नियुक्ति से संबंधित ऋण समझौते का खंड	**खंड 9.6**
२ ३	ऋण समझौते का खंड जिसमें शिकायत निवारण तंत्र का विवरण दिया गया है	**खंड 12.2**
24	क्या ऋण अन्य विनियमित संस्थाओं को हस्तांतरित किया जा सकता है या भविष्य में किया जा सकता है - (हां/नहीं)	**हाँ**
25	**गोपनीयता नीति** - https://www.dmifinance.in/privacy-and-security/	
26	**फिनटेक/डिजिटल ऋण संबंधी शिकायतों/मुद्दों से निपटने के लिए विशेष रूप से नामित नोडल शिकायत निवारण अधिकारी का फोन नंबर और ईमेल आईडी –** **शिकायत निवारण अधिकारी (उपभोक्ता ऋण)** नाम- आशीष सरीन पद- वरिष्ठ उपाध्यक्ष - ग्राहक सफलता	

	ईमेल पता: head.services@dmifinance.in/ Grievence@dmifinance.in पता: एक्सप्रेस बिल्डिंग, तृतीय तल, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 संपर्क नंबर: 011-41204444 https://www.dmifinance.in/fair-practice

* आकस्मिक शुल्क कंपनी की नीति के आधार पर बदला जा सकता है

संवितरण विवरण (जिस खाते में संवितरण किया जाना है)

मात्रा		**बैंक का नाम**	
खाता नाम		**आईएफएससी कोड**	
खाता नंबर।			

टिप्पणी

मैं/हम ("उधारकर्ता") इस मुख्य तथ्य विवरण/ऋण विवरण पत्रक की प्राप्ति की पुष्टि करते हैं और मेरी/हमारी स्वीकृति की पुष्टि करते हैं और बताते हैं कि उपरोक्त शर्तों पर डीएमआई द्वारा दी गई ऋण सुविधा ऋण के सामान्य नियम और शर्तों, इस मुख्य तथ्य विवरण/ऋण विवरण पत्रक, ऋण आवेदन सहित इसके अनुलग्नकों और मेरे/हमारे द्वारा निष्पादित या डीएमआई द्वारा आवश्यक किसी भी दस्तावेज, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है ("वित्तपोषण दस्तावेज") द्वारा शासित होगी।

ऋणकर्ता वित्तपोषण दस्तावेजों की शर्तों से कानूनी रूप से बंधे होने के लिए सहमत है। मैं/हम समझते हैं कि मेरी/हमारी स्वीकृति में शामिल होगा: (i) वित्तपोषण दस्तावेजों में निर्धारित सभी नियमों और शर्तों को अपरिवर्तनीय रूप से स्वीकार करने और बिना शर्त बाध्य होने की मेरी/हमारी सहमति; और (ii) ऋणकर्ता की स्वीकृति और पुष्टि कि इस मुख्य तथ्य विवरण/ऋण विवरण पत्रक (अन्य वित्तपोषण दस्तावेजों के साथ) को ऋणकर्ता द्वारा विधिवत पढ़ा और पूरी तरह से समझा गया है।

उपभवन बी

चित्रण के लिए गणना का अप्रैल एमएसएमई के लिए ऋण

सीनियर नहीं।	पैरामीटर	विवरण
1	स्वीकृत ऋण मात्रा (में रुपए) (धारावाहिक नहीं। 2 का केएफएस टेम्पलेट – अनुलग्नक ए)	20,000
2	ऋण अवधि (महीनों में) (क्रमांक १० केएफएस टेम्पलेट का प्रारूप – अनुलग्नक ए)	24
ए)	नहीं। का किश्तों के लिए भुगतान का प्रधानाचार्य, में मामला का गैर-समतुल्य आवधिक ऋण	-
बी)	प्रकार का ईपीआई (उधारकर्ता की पुनर्भुगतान आवृत्ति) मात्रा का प्रत्येक ईएमआई/ ईपीआई (में रुपए) और संख्या का ईपीआई (उदाहरण, नहीं। का ईएमआई में मामला का मासिक किस्तें) (धारावाहिक नहीं। 11, 12 और 13 का केएफएस खाका – अनुलग्नक ए)	महीने के 970 24
सी)	नहीं। का किश्तों के लिए भुगतान का बड़ा कर दिया है दिलचस्पी, अगर कोई	-
डी)	प्रारंभ का पुनर्भुगतान, डाक प्रतिबंध (धारावाहिक नहीं। केएफएस टेम्पलेट का क्रमांक 14 – अनुलग्नक ए)	DDMMYYYY
3	दिलचस्पी दर प्रकार (धारावाहिक नहीं। 4 का केएफएस टेम्पलेट – अनुलग्नक ए)	कमी
4	दर का ब्याज (सीरियल संख्या 4 केएफएस खाका – अनुलग्नक ए)	15 %
5	कुल दिलचस्पी मात्रा को होना आरोप लगाया दौरान पूरा स्वीकृति तिथि पर प्रचलित दर के अनुसार ऋण की अवधि (रुपये में) (धारावाहिक नहीं। 5 का केएफएस खाका – अनुलग्नक ए)	3,274
6	शुल्क/ प्रभार देय (में रुपए)	240
ए	देय को दोबारा (धारावाहिक संख्या 6ए, 6बी और 6 सी केएफएस टेम्पलेट-अनुलग्नक ए)	240
बी	RE के माध्यम से तीसरे पक्ष को देय	0
7	जाल वितरित मात्रा (1-6) (में रुपए)	19,600
8	उधारकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि (1 और 5 का योग) (रुपये में)	23,274
9	वार्षिक प्रतिशत दर- प्रभावी वार्षिक ब्याज दर (प्रतिशत में) (केएफएस टेम्पलेट का क्रमांक 9 - अनुलग्नक ए)	17.07%
10	अनुसूची का अदायगी जैसा प्रति शर्तें और स्थितियाँ	विस्तृत कार्यक्रम को प्रदान किया
11	देय तारीख का भुगतान का किस्त और ब्याज	हर महीने की 05 तारीख

• विस्तृत पुनर्भुगतान अनुसूची के तहत दी गई किश्तों के योग से गणना की गई पुनर्भुगतान राशि में अंतर (यदि कोई हो) ऊपर उल्लिखित राशि के मुकाबले विस्तृत पुनर्भुगतान अनुसूची और परिशोधन मॉडल के तहत किश्त राशि को पूर्णांकित करने के कारण हो सकता है।
• APR की गणना IRR दृष्टिकोण और घटती शेष राशि पद्धति का उपयोग करके शुद्ध वितरित राशि पर की जाती है। • इस ऋण सुविधा पर लागू शुल्क और कटौती आवेदन पत्र में उल्लिखित हैं और मुझे विधिवत समझा दी गई हैं।

उपभवन सी

उदाहरणदर्शक वापसी अनुसूची अंतर्गत समान सामयिक किस्त के लिए अनुलग्नक बी में दर्शाया गया काल्पनिक ऋण

किस्त सं.	बकाया मूलधन (रुपये में)	प्रधानाचार्य (रुपये में)	दिलचस्पी (रुपये में)	किस्त (रुपये में)
1	20,000	720	250	970
2	19,280	729	241	970
3	18,552	738	232	970
4	17,814	747	223	970
5	17,067	756	213	970
6	16,310	766	204	970
7	15,544	775	194	970
8	14,769	785	185	970
9	13,984	795	175	970
10	13,189	805	165	970
11	12,384	815	155	970
12	11,569	825	145	970
१३	10,744	835	134	970
14	9,909	846	124	970
15	9,063	856	113	970
16	8,206	867	103	970
17	7,339	878	92	970
18	6,461	889	81	970
19	5,572	900	70	970
20	4,672	911	58	970
21	3,761	923	47	970
22	2,838	934	35	970
23	1,904	946	24	970
24	958	958	12	970